निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 285) पटना, वृहस्पतिवार, 12 फरवरी 2015

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

9 फरवरी 2015

सं0 वानिकी निगम–02/2014–412/प०व०––''बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड'' के गठन तथा इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में पर्यावरण एवं वन विभागीय संकल्प संख्या–332, दिनांक 28.01.2013 निर्गत की गई है। इस संकल्प के द्वारा पूर्व के विभागीय संकल्प संख्या–3698, दिनांक 23.10.2003 में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को पूरे बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर त्रि–स्तरीय पंचायतों के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में केन्दु पत्ती सहित समस्त लघु वन उपजो के संग्रहण, प्रोसेसिंग, भंडारण एवं विपणन की व्यवस्था संबंधी कार्य स्वतंत्र रूप से करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस आलोक में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर छोटे–छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के माध्यम से अग्रिम बिक्री की जायेगी। राज्य के उन प्रादेशिक वन प्रक्षेत्रों जिनमें केन्दु पत्ती उपलब्ध है, में केन्दु पत्ती की अधिसूचित मात्रा के आधार पर एक प्रादेशिक प्रक्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक लौट बनाये जायेंगे। उक्त लौट/प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की अग्रिम बिक्री, निविदाकर द्वारा अपनी निविदा में अर्पित (Offer) की गई शुद्ध एकमुश्त राशि, जिसमें केन्दु पत्ती का संग्रहण व्यय, देय कर एवं फी आदि सम्मिलित नहीं होगा, के आधार पर की जायेगी।

प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर वन भूमि से तथा निजी केन्दु पत्ती उत्पादक क्षेत्र से लाई गई केन्दु पत्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय राशि देकर निगम द्वारा केन्दु पत्ती का संग्रहण किया जायेगा तथा इन केन्दु पत्तियों को हरी हालात में ही निगम द्वारा तत्संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र/लौट के लिए नियुक्त अधिकृत क्रेता को परिदान किया जायेगा। परिदान प्राप्त करने के पश्चात् क्रेता द्वारा उक्त पत्तों का उपचार परिवहन एवं गोदामीकरण आदि निगम की देख–रेख में क्रेता के स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा वन भूमि अथवा गैर वन भूमि से बीड़ी बनाने योग्य अच्छे पत्तों का संग्रहण कर 50 पत्तों की एक गड्डी, जिसे पोला कहा जाता है, तैयार किया जायेगा तथा उसके उपर एवं नीचे सुरक्षा दृष्टिकोण से एक–एक अतिरिक्त पत्तियाँ दी जायेगी, को लेकर निगम द्वारा निर्धारित फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर लाया जायेगा। उक्त पोलों को निगम द्वारा निर्धारित संग्रहण दर के आधार पर भुगतान कर, क्रय कर लिया जायेगा। संग्रहण अवधि अप्रैल से जुलाई तक होगी। प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को निर्धारित दर पर देय राशि, पत्तियों के उपचार का खर्च खलिहान व्यय बोरे की व्यवस्था, पत्तियों के उपचार के पश्चात् बोरों में कश्ती का खर्च परिवहन एवं भंडारण व्यय से

संबंधित खर्चों को संग्रहण व्यय कहा जायेगा। केन्दु पत्ती के संग्रहण हेतु प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को भुगतेय राशि संबंधित लौट के अधिकृत क्रेता द्वारा निगम के संबंधित वनोपज निरीक्षक/प्रभारी प्रक्षेत्र पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत वनपाल को अग्रिम रूप में भुगतान किया जायेगा। उक्त राशि को क्रय मूल्य कहा जायेगा।

निगम द्वारा निर्धारित किए गए फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर निगम द्वारा संग्रहित सभी केन्दु पत्तियों को यथास्थिति में संबंधित लौट के क्रेता द्वारा अनिवार्य रूप से 48 घंटों के अंदर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से परिदान प्राप्त करना होगा। उक्त परिदान हरे पत्तियों के रूप में ही क्रेता को दिया जायेगा।

परिदान प्राप्त करने के पूर्व क्रेता द्वारा संबंधित पत्तों का क्रय मूल्य (सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को भुगतेय राशि) तथा निगम द्वारा निर्धारित दर पर खलिहान व्यय आदि चुकाना होगा। इस प्रकार क्रय मूल्य का यह भाग प्रभारी प्रक्षेत्र पदाधिकारी/वनोपज निरीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वनपाल को दिया जायेगा। इस क्रय मूल्य के उपर भुगतेय सभी करों एवं शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा निगम कार्यालय में साथ–साथ जमा करना होगा।

क्रेता द्वारा निगम से परिदान प्राप्त हरे पत्तों के आवश्यक उपचारण, बोरा कश्ती, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य निगम द्वारा निबंधित गोदामों में निगम पदाधिकारियों की देख–रेख में अपने खर्च पर करना होगा। प्रस्तावित गोदामों, जिनमें पत्तियों का भंडारण किया जाना है, का निबंधन निगम द्वारा आवश्यक जाँचोपरांत भंडारण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही कर लिया जायेगा। संबंधित फाड़ियों से निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवहन किए जाने वाली पत्तियों हेतु निर्गत अनुज्ञा–पत्र के आधार पर संबंधित गोदाम के प्रभारी निगम के अधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त पत्तियो की प्राप्ति स्वीकार की जायेगी तथा उनका भंडारण क्रेता के खर्च पर अपनी देख–रेख में कराया जायेगा। राज्य सरकार/निगम द्वारा निर्धारित नियमित व्यय के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार का व्यय क्रेता द्वारा किया जाता है तो उसकी देनदारी अथवा जिम्मेवारी निगम अथवा सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। जिन बोरों में उपचारित केन्दु पत्ती की कश्ती क्रेता द्वारा कराई जायेगी उन पर निगम द्वारा आवंटित क्रमांक तथा अन्य सूचनाये क्रेता द्वारा अग्रिम रूप में अनिवार्यता अंकित की जायेगी। हर परिस्थिति में परिदान प्राप्त पत्तों का भंडारण क्रेता को निर्धारित गोदाम में करना होगा। प्रत्येक गोदाम दोहरी ताला की व्यवस्था के अंतर्गत होगा, जिसमें एक ताला निगम का तथा दूसरा क्रेता का होगा एवं गोदाम को दोनों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही खोला जायेगा।

क्रेता को परिदान प्राप्त पत्तों का अनिवार्य रूप से बीमा कराकर इसकी सूचना निगम को अभिलेखीय प्रमाण–पत्र सहित देना होगा।

गोदामीकरण (भंडारण) के पश्चात् क्रेता द्वारा निगम को अर्पित शुद्ध एकमुश्त राशि को एक बार में अथवा निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम चार किश्तों में सभी देय करों एवं फी के साथ भुगतान करना होगा एवं तदनुसार समानुपातिक रूप से उन्हें गोदाम में भंडारित पत्तों में से आपूर्ति निगम द्वारा दी जायेगी।

वर्तमान में राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्तों की इकाईयों उनके नाम एवं उनमें उपलब्ध केन्दु पत्तों की मात्रा मानक बोरों से प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार निम्नवत् हैः–

प्रादेशिक प्रक्षेत्र	इकाई सं०	इकाई का नाम	अधिसूचित मात्रा (मानक बोरों में)
औरंबागाद	611	डोंडा	650
	612	दुलार	1450
	613	अनवर सलैया	550
	614	चकर बंधा	3850
	615	सहियारे	3400
	616	उमगा	1100
	617	इटकोहिया	500
	618	दाउदनगर	00
	619	अरोरा	1100
इमामगंज	620	मलहारी	1100
	621	पचमह	800
	622	पकरीगुरिया	1050
	623	फुलवरिया	1300
	624	परसचवाँ	2150
	625	चाँदपुर	2050
	626	महापुर	950
	627	नागोवार	1450
	628	बलियारे	950
	629	छतरपुर	1000
	630	इमनाबाद	800
	631	राबड़ी	1300

	632	भदवर	500
	633	सोनपुरा	850
	634	गोटी बाँध	1550
	635	हरदौन	800
बाराचट्टी	636	धनगई	1200
	637	बाराचट्टी	2400
	638	जयगीर	विलोपित (वन्य प्राणी आश्रयणी)
	639	तेतरीया	विलोपित (वन्य प्राणी आश्रयणी)
	640	अंबातारी	2200
	641	बैजनाथपुर	3000
	642	बरांडी	1750
गुरपा	643	सराने	800
	644	झुरांग	1100
	645	मनहोना	1500
	646	बँसकटवा	1750
	647	बराहकोल	1400
	648	मधीकलौंदा	1100
	649	महेर	210
	650	सकीर बिग्घा	00
	651	बराबट	25
	669	जेठईन	300
रजौली	652	पिचाली	1850
	653	चिरेला	2100
	654	चितरकोली	1100
	655	बुधिया साख	2200
	656	चकटरी	00 (विलोपित)
	657	माधोपुर	1100
	658	एकतारा	1650
कौवाकोल	659	पहाड़पुर	1600
	660	मानापुर	2200
	661	महुलियाटाँड़	1000
	662	मधुरापुर	1300
	663	रानीगदर	700
	664	सोरवेदेवरा	1000
	665	गोरवैन	1050
	666	कोशीरूखी	900
	667	पकरी बराँव	00
चकाई	736	बटिया	1450
	737	सिमुलतल्ला	2000
	738	चकाई	1600
	739	कछुआ	2000
	740	दुलमपुर	1600
कटोरिया	810	सुईया	1400
	811	पररिया	1400
	812	कटसकरा	1300
	813	डोमसरनी	700
	814	भैरोगंज	1050
	815	टोनापाथर	700
	816	देवसी	650
	817	गौरउर	1250
	818	भेरसर	1600
	819	कोलोथर	850

बौसी	800	कधार	1150
	801	कोझी	950
	802	खोधिया	800
	803	लोह सिंगना	900
	804	भितेया	1300
	805	मोथाबाटी	1050
बाँका	806	फलीडूमर	1200
	807	झिलुअ०	1350
	808	कुशबथान	1050
	809	तरौना	500
जमुई	728	जमुई	1200
	729	सिकन्दरा	1450
	730	गढ़ी	2500
झाझा	731	फोकस०	500
	732	नरगंजों	2600
	733	भेलव०	600
	734	चरकापाथर	2100
	735	गगनपुर	2500

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 285-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in